1 6 MAY 2026

FOUNDATION EXAM
PAPER - 2
BUSINESS LAWS

TBN(H)

l No. ....

al No. of Questions : 6

al No. of Printed Pages : 32

ne allowed : 3 Hours **Maximum Marks : 100**

TBN(H)

nswer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who ve opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium, his/her answers in Hindi will not be evaluated.

Question No. **1** is compulsory.

Answer any **four** questions from the remaining **five** questions.

Working notes should form part of the answers.

Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the gilators or having/using mobile phone or smart watch or any other electronic gadget will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

SEAL

Marks

(a) Rakesh intending to sell his used car, approached his friend to suggest the name of a reliable used car broker who can help to sell his car. His friend recommended the name of Vikash, a renowned and reliable broker. Vikash inspected the vehicle and there on the spot Rakesh informed Vikash that he has decided to sell the car for ₹ 12 Lakhs. He also informed Vikash that anyone who will be interested must give a token advance amount of ₹ 5 Lakhs at the time of the deal and to pay the balance amount **7**

of ₹ 7 Lakhs at the time of delivery of the vehicle. Vikash brought a potential customer Ravi for inspection of the vehicle, who inspected the same along with a mechanic brought by him. He was satisfied with the condition of the car. When Ravi informed Vikash about his interest, he came to know about the price of the car offered by Rakesh. Ravi told Vikash that he was prepared to purchase the car only for a total consideration of ₹ 10 Lakhs and immediately transferred an amount of ₹ 5 lakhs to Vikash's Bank Account through NEFT as advance, which was immediately transferred by Vikash to Rakesh. After a week when the parties met to conclude the sale, Ravi issued another cheque for only ₹ 5 lakhs as the final payment, which Rakesh rejected. Vikash tried to convince Rakesh that the condition of the car is such that it would not fetch more than ₹ 10 Lakhs. But Rakesh did not agree with Vikash.

Analysing the applicable provisions of the Indian Contract Act, 1872, answer the following questions as per the information given above.

(i) Whether there is a legally valid and enforceable contract in this case.

(ii) Briefly discuss the remedies available to Rakesh in this situation.

(iii) What if Vikash (the broker) never actually (though unintentionally) told Ravi about the price of ₹ 12 Lakhs, however received ₹ 5 Lakhs anyway?

Marks

(b) Hitarth Foundation was incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 in May 2020 with the object to promote a healthier lifestyle of the human beings while caring for the planet. Hitarth was one among the founder members of the Company. Mission of the Company was to inspire healthier living by providing pure, organic, and sustainably sourced products that nurture both people and the planet. 7

Hitarth Foundation was running successfully in terms of its objectives. Being well aware of the success of Hitarth Foundation, Ram & Sons a partnership firm, (in which Hitarth's father Ram was having 80% stake) invested 25% in the equity of Hitarth Foundation in April 2024.

A few days later, Mr. Ram started interfering in the business of Hitarth Foundation by supplying poor quality raw materials which defeated the main purpose of Hitarth Foundation of providing pure and organic products to nurture people and the planet.

Besides, Ram & Sons pressurized the directors of the Company and Hitarth Foundation succumbed by the pressure was forced to declare dividend of 10%. Ram & Sons withdrew its share of dividends whereas the other shareholders did not withdraw their share of dividend on the ground that Hitarth Foundation was incorporated for other purposes.

Some farmers, who were earlier supplying organic vegetables to Hitarth Foundation and were denied to supply their products after the interference of Ram & Sons, filed a complaint before the Central Government to revoke the license of Hitarth Foundation. The Central Government after hearing all the stakeholders gave a notice for revocation of license of Hitarth Foundation after issuing a show cause notice to the company. After revocation of

license, the Central Government ordered for winding-up of Hitarth Foundation in public interest. Some directors of Hitarth Foundation approached you for your advice in the following matters.

(i) Whether Ram & Sons can invest 25% in the total equity of Hitarth Foundation.

(ii) Ram & Sons has withdrawn its share of dividends since it has 25% stake in Hitarth Foundation. Whether Hitarth Foundation should have denied for declaration of any dividend.

(iii) Hitarth Foundation contended that the Central Government cannot give order for winding up of the Company. Maximum the Central Government can do is that it can revoke the license and thereafter Hitarth Foundation can run its business. Whether this contention was justified.

Analyzing the applicable provisions of the Companies Act, 2013 advise the directors.

(c) ABC & Co. a partnership firm is going to be dissolved. The partners seek your advice on the following points referring to the relevant provisions of the Indian Partnership Act, 1932 in this regard. 6

(i) Right of partners to have business wound up after dissolution.

(ii) Continuing authority of partners for purposes of winding up.

(iii) Mode of Settlement of partnership accounts.

Marks

(a) Romi went to a renowned furniture showroom named 'TRENDS IN DELHI' in Kirti Nagar, for the purpose of customizing and fixing a sofa in her office cabin. Within 30 minutes, she finalized one design which suited her office cabin colors scheme and space. Mr. Parth (owner of TRENDS IN DELHI) assured her that he will deliver the sofa within a month. Mr. Parth told her that the sofa will cost ₹ 45,000 and he will charge extra ₹ 4,500 towards cartage and corporate packing. The amount of ₹ 4,500 towards cartage and corporate packing must be paid by Romi at the time of delivery of the sofa and the remaining amount may be paid within the period fixed for approval of the transaction. He also assured Romi that he will be responsible for assembly and installation of the same without causing any harm to her office cabin, situated in the 9th floor of the building at no extra cost. Romi agreed with the terms and conditions of Mr. Parth but with the condition that she will not approve the sofa and return the same if it will not be perfect according to the size and color described. Mr. Parth agreed to this condition but fixed the maximum time by which Romi can reject the sale, i.e. 20 days after delivery and installation is over, for which Romi also agreed with. 7

As per the schedule, Mr. Parth sent the sofa to Romi's office. D (Employee of Parth) denied delivering the sofa at 9th floor by stairs as it was not accommodating in the service lift. Romi paid D ₹ 1,500 to deliver the sofa at 9th floor by stairs. After assembly and installation, she paid ₹ 4,500 for cartage and corporate packing as mutually agreed upon.

One month later, when Mr. Parth asked for payment of ₹ 45,000, Romi said that she wants to return the sofa contending that it was not according to size and description of her office as she had mentioned at the time of buying the sofa. Alternatively, she was ready to pay only ₹ 25,000 towards the cost of the Sofa in place of ₹ 45,000 as the sofa was not according to her choice and exact requirements.

Analyzing the applicable provisions of the Sale of Goods Act, 1930, advise on the following with reasons :

(i) Whether Romi can refuse to make the payment of ₹ 45,000 by mentioning that the sofa was not according to size and description which she described at the time of placing the order.

(ii) In your opinion whether Romi has signified her approval to Mr. Parth in any manner before the specified day of approval?

(iii) Whether Mr. Parth should file a suit against Romi for non-payment or he should accept ₹ 25,000 towards the full and final payment of sofa as there was remote chance of having a positive outcome of the suit and the sofa was customized and already delivered to Romi.

(b) (i) Differentiate (any three points) between the Equity Shares with differential rights and Preference Shares under the Companies Act, 2013. 3

(ii) Discuss the Doctrine of Constructive Notice. 4

Marks

(c) (i) Referring to the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 discuss the powers of the Central Government for issuing directions for taking corrective steps against an LLP being registered with a similar name of an existing LLP, company or a registered trademark of a proprietor under the Trade Marks Act, 1999 as is likely to be mistaken for it. Also discuss the power of the Central Government to suo-moto take steps towards redressal of the above issue on persisting non-compliance of such directions. **6**

(ii) "Out of the designated partners atleast one should be a resident in India". Elaborate upon the provision relating to designated partners as laid down, further defining a resident partner as provided in the Limited Liability Partnership Act, 2008.

3. (a) (i) Mr. Chand once an active partner in CHJ and Associates (a partnership firm) has lately taken a back seat due to his ailing health. He observed that the accounts of the firm were not being maintained properly and feared embezzlement by the other two partners. Keeping this in mind he assigned his interest in the firm to Mr. Niman, his nephew who is a qualified finance professional and has expertise in this field. **4**

After some days of his nomination, Mr. Niman raised objection as to the transparency of the accounts and demanded an inspection of the books, which was refused by the other partners. A year later, CHJ and Associates decided to dissolve the partnership firm as the business was no longer profitable. Mr. Niman asked for the accounts of past 3 years to ascertain the share of profits been offered by the firm to him for which he was refused yet again.

Analysing the relevant provisions of the Indian Partnership Act, 1932, decide whether the firm was correct in refusing the inspection of accounts by Mr. Niman during its (Firm's) continuance.

Also decide whether Niman is legally eligible to ask for the accounts of the firm for past 3 years on dissolution.

(ii) Mr. Pramod a senior partner in PKL and Associates (a dairy product manufacturing firm having two partners) has been approached by Mr. Sanjay a raw material supplier of the Firm, to withdraw a long pending suit and settle through mediation and out of court settlement. The long pending matter relates to a dispute regarding supply of poor-quality raw materials by Mr. Sanjay to the Firm which has brought disrepute to PKL and Associates and had resulted in lowering of demand for the Firm's product in the market. 3

Mr. Sanjay as a part of out of court settlement has offered the Firm one of his properties at a price much below the market price. Mr. Pramod is considering to accept the offer as not only it would settle a long pending dispute, but also result in acquisition of a property to the firm at a price which is much below the market price. Mr. Pramod has communicated the above offer to the other partner Mr. Kumar whose view is not available at this moment as he is out of the state for some personal work.

Analysing the applicable provisions of the Indian Partnership Act, 1932 decide whether at this juncture Mr. Pramod as an active partner is authorized to withdraw the suit and acquire the property as offered by Mr. Sanjay when one of the partners has not offered his view.

(b) State Power Corp Private Limited was incorporated under the Companies Act, 2013 with 51% shares held by the Central Government to promote infrastructure for a future Information Technology project. The Board of the Company had the appropriate representation of the nominees of the Central Government. The Company performed extremely well in the 7

initial years after incorporation. However, use of Artificial Intelligence in the field of Information Technology broke the backbone of the Company and its scale of performance nosedived during the last three years. State Power Corp Private Limited has neither conducted any business nor filed the required returns with the Registrar for the last two financial years. The Board now wishes to apply for 'Dormant' status. Some directors of the Company opined that having 51% stake of the Central Government, the Company should be considered as a Public Financial Institution in terms of the provisions of the Companies Act, 2013. In the contrary, some other directors also opposed that being a Private Company State Power Corp Private Limited even cannot be considered as a Government Company. The directors decided to procure your advice regarding the following matters:

(i) Having 51% stake of the Central Government whether State Power Corp Private Limited could be considered as a Government Company since it was incorporated as a private company.

(ii) Whether State Power Corp Private Limited could be considered as a Public Financial Institution in terms of the provisions of the Companies Act, 2013.

(iii) Whether the Company is eligible to apply for availing the status of a Dormant Company.

Analyzing the applicable provisions of the Companies Act, 2013 advise the directors supported by justification.

Marks

(c) Referring to the applicable provisions of the Indian Contract Act, 1872, answer the following: 6

(i) State the situations where Vindictive or Exemplary damage is awarded (with justification).

(ii) Penalty and liquidated damages have one thing in common that both are payable on the occurrence of a breach of contract. However, it is very difficult to draw a clear line of distinction between the two. State *any three* principles which may be helpful to differentiate between Penalty and liquidated damages.

4. (a) Mr. Bhusan is a businessman dealing in retail sale of jewellery made of gold and precious stones. He had approached RCK Bank Ltd. for a loan of ₹ 70 Lakhs for the purpose of expansion of his business. For availing the loan, Mr. Bhusan mortgaged gold bar worth ₹ 5 Lakhs and has arranged personal guarantee from Suresh, Suyash, Sumati and Suman, who have agreed to provide guarantee for ₹ 30 Lakhs, ₹ 20 Lakhs, ₹ 10 Lakhs and ₹ 10 Lakhs respectively in event of repayment failure on part of Mr. Bhusan. Mr. Bhusan invested the loan amount in the business and increased stock of jewellery and set up an additional jewellery showroom in the nearby area. 7

The gold bars which were mortgaged to the bank by physical transfer were lost due to a burglary committed in connivance with a bank's staff who could not be traced till today. Earlier Mr. Bhusan had also sold a Ganesha Idol made of gold during Diwali to the Bank (on the request of the Bank) to be kept at the Bank's main counter which was worth ₹ 5 Lakhs for which payment has not been made by the Bank so far. Meanwhile, due to a business downturn, Mr. Bhusan could not repay the loan and the Bank had to approach the guarantors for repayment of the unpaid amount. The Bank has asked the guarantors to contribute the deficit amount equally.

Marks

Analysing the relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872, decide:

(i) Whether the Bank's contention as to equal contribution by the persons who have provided guarantee is valid and if not, what amount should be paid by each of the guarantors.

(ii) What would be your answer regarding liability of each guarantor towards contribution in case the Bank makes changes in terms and conditions of the loan with Mr. Bhusan without consent and knowledge of any of the guarantors?

(b) Referring to the applicable provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881, answer the following questions. 7

(i) Negotiable instruments may be negotiated either by delivery or by indorsement and delivery.

State the situations when negotiable instrument is negotiated by the following modes: -

(A) By delivery only

(B) By delivery & indorsement

(ii) Delivery is important in both cases, i.e. either by delivery only or by delivery & indorsement.

(A) Explain why delivery is essential for negotiation?

(B) Whether there is any circumstance where, instruments cannot be negotiated even by delivery thereof?

(c) Discuss the following terms which you would find while studying the Indian Regulatory Framework: 6

(i) Common Law

(ii) Principles of Natural Justice.

Marks

5. (a) Rishi is having a farmhouse in the outskirts of Ambala. The clay of his farmhouse is very heavy and strong. In order to cultivate some seasonal vegetables, he approached a multi-brand dealer to buy a tractor and six automatic seed planter machines. He categorically specified the condition of the clay of his farmhouse to the dealer and also informed the dealer that he is relying upon the expertise of the dealer for this purpose. The dealer in turn suggested the tractor and automatic seed planter machines (which are independent of each other) of a particular leading brand. Rishi relying upon the expertise of the dealer purchased the above items through a single bill with separately itemized pricing that breaks down the individual costs for the tractor and each of the six seed planter machines with item serial number. While they were being used for digging the land and sowing seeds, the tractor broke down just after 16 days of use as it was found to be unsuitable for the purpose. In contrast, only one out of the six seed planter machines broke down on the same day as it was also unsuitable for the particular field. By this time all the other five seed planter machines were also used in the specified field by Rishi and found to be suitable. Consequently Rishi wanted to repudiate the entire contract and return the tractor and all the seed planting machines. 7

Analyzing the relevant provisions of the Sale of Goods Act, 1930, advise Rishi on the following based on the facts given above.

(i) Can Rishi return the tractor of the leading brand?

(ii) Can Rishi return all six seed planting machines?

Marks

(b) A minor cannot be bound by a contract because a contract with a minor is void and not merely voidable. Therefore, a minor cannot become a partner in a firm because partnership is founded on a contract. Though a minor cannot be a partner in a firm, he can nonetheless be admitted to the benefits of partnership. 7

Referring to the provisions of the Indian Partnership Act, 1932, discuss the rights and liabilities of a minor partner.

(c) Briefly discuss the exceptions to the rule "Doctrine of privity of contract" as laid down under the provisions of the Indian Contract Act, 1872. 6

6. (a) Examine the validity of the following instruments under the Negotiable Instruments Act, 1881, by providing justification in support of your conclusions (treating the three situations independent of each other) 7

(i) A promissory note for ₹ 25,000 executed by Alok, containing an undertaking to pay the unidentified person who brings his lost dog. Anand thereafter found and brought the dog and claimed the reward.

(ii) A signed bearer cheque was delivered by Alok as a reward to Anand for the already completed service of finding the lost dog.

(iii) Alok made a self-drawn and self-accepted bill of exchange and delivered it to Anand (as a reward) after the dog was found.

(b) Referring to the applicable provisions of the Indian Contract Act, 1872, answer the following: 6

(i) Rights of finder of lost goods

(ii) Rights of Pawnee/Pledgee

OR

Marks

(b) Answer both of the following with reference to the provisions of the Indian Contract Act, 1872. **6**

(i) "The party defrauded has several remedies at his disposal". Discuss the remedies available to the party defrauded.

(ii) State the circumstances under which a contract of bailment shall terminate.

(c) Referring to the provisions of the Sale of Goods Act, 1930, answer the following:

(i) State the situations when a seller can restrain the passing of property to the buyer inspite of the fact that the goods have already been delivered to the buyer. **4**

Also state the circumstances in which the seller is presumed to have reserved the right of disposal of the property in goods?

(ii) Discuss the provisions with regard to determination of price by a third party. **3**

TBN(H) **Marks**

(Hindi Version)

उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देने हैं। वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है, तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा।

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कार्य टिप्पणियाँ (Working Notes) उत्तर के भाग होनी चाहिए।

कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या मदद प्राप्त करते हुए या देते हुए या परीक्षक के निर्देशों की अवहेलना करते हुए या मोबाइल फोन रखे हुए या इस्तेमाल करते हुए या स्मार्ट घड़ी या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और साथ ही दाण्डिक कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होगा।

अंक

1. (a) राकेश ने अपनी उपयोग की हुई कार के विक्रय का विचार किया, उसने अपने मित्र से सम्पर्क किया और एक भरोसेमंद पुरानी कारों के दलाल के नाम की सलाह देने को कहा जो उसकी कार विक्रय में मदद करें। उसके मित्र ने विकास के नाम की सलाह दी, जो कि ख्यातिप्राप्त और भरोसेमंद दलाल है। विकास ने कार का निरिक्षण किया और उसी समय राकेश ने विकास को सूचना दी की उसने निर्णय लिया है की वह कार को ₹ 12 लाख में विक्रय करेगा। उसने विकास को यह सूचना भी दी की जो कोई भी कार क्रय करने का इच्छुक है, उसे आवश्यक रूप से ₹ 5 लाख अग्रिम जमा देने होंगे, जब संव्यवहार किया जाता है और शेष ₹ 7 लाख कार सुपुर्दगी के समय देने होंगे। विकास एक सम्भावित ग्राहक 7

 Marks

रवि को कार निरिक्षण के लिए लाता है, जो अपने साथ लाए मिस्त्री द्वारा कार का निरिक्षण करता है। वह कार की दशा से संतुष्ट है। जब रवि ने कार क्रय करने की अपनी इच्छा विकास को जाहिर की तब राकेश द्वारा प्रस्तावित कार की कीमत की जानकारी हुई, रवि ने राकेश से कहा की वह सिर्फ, कुल ₹ 10 लाख प्रतिफल के बदले कार क्रय करने को तैयार है ओर उसने तत्काल ₹ 5 लाख विकास के बैंक खाते में NEFT के द्वारा अग्रिम जमा किये, जो विकास द्वारा तुरन्त राकेश को अन्तरित कर दिये गये। एक सप्ताह पश्चात् जब पक्षकारों ने विक्रय को अन्तिमत्ता प्रदान करने हेतु मुलाकात की, रवि द्वारा सिर्फ ₹ 5 लाख का चैक अन्तिम भुगतान हेतु जारी किया, जिसे राकेश ने अस्वीकार कर दिया। विकास द्वारा राकेश को समझाने की कोशिश की गई की कार की दशा ₹ 10 लाख मूल्य से अधिक नहीं पंहुच सकती। किन्तु राकेश विकास से सहमत नहीं हुआ।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के लागु होने वाले प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए तथा उपरोक्त सुचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

(i) क्या उपरोक्त मामले में एक कानूनी रूप से वैध और प्रर्वतनीय संविदा हुई है?

(ii) उपरोक्त मामले में राकेश को प्राप्त उपचारों के संबंध में संक्षेप में विचार कीजिए।

(iii) क्या होगा यदि विकास (दलाल) वास्तव में नहीं (बिना आशय के) रवि को ₹ 12 लाख कीमत बताता है, और ₹ 5 लाख प्राप्त कर लेता है?

Marks

(b) हितार्थ फाउंडेशन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मई 2020 में धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है जिसका उद्देश्य मनुष्य की स्वास्थमय जीवन शैली को पृथ्वी का ध्यान रखते हुए प्रसारित करना है। हितार्थ कम्पनी का एक संस्थापक सदस्य है। कम्पनी का मिशन स्वास्थमय जीवन शैली को प्रेरित करना और शुद्ध, आरगेनिक और पोषनिय स्त्रोत उत्पादों को उपलब्ध कराना जो मनुष्य व पृथ्वी दोनों का पोषण करें। 7

हितार्थ फाउंडेशन अपने उद्देश्यों के अनुसार सफलतापूर्वक चल रही है। हितार्थ फाउंडेशन की सफलता के ध्यान में रखते हुए राम & सन्स् भागीदारी फर्म ने अप्रेल 2024 में 25% उनकी ईक्विटी में निवेश किया (इसमें हितार्थ के पिता के 80% अंश है।)

कुछ दिनों बाद मि. राम ने हितार्थ फाउंडेशन के व्यापार में घटिया क्वालिटि का कच्चा माल आपूर्ति कर के हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया, जिससे हितार्थ फाउंडेशन का शुद्ध और आरगेनिक वस्तुऐं प्रदान करके जनता और पृथ्वी को पोषित करने का मुख्य उद्देश्य बेकार हो गया।

इसके अलावा राम & सनस् ने कम्पनी के निदेशकों पर दबाव बनाया और उस दबाव के कारण हितार्थ फाउंडेशन को 10% लाभांश की घोषणा करनी पड़ी। राम & सन्स् ने अपना लाभांश प्राप्त कर लिया किन्तु अन्य अंशधारकों ने लाभांश नहीं लिया क्योंकि हितार्थ फाउंडेशन का पंजीकरण अन्य उद्देश्य के लिए हुआ है।

Marks

कुछ कृषक, जो पहले हितार्थ फाउंडेशन को आरगेनिक सब्जिया आपूर्ति करते थे, और जिन्हें राम & सन्स् के हस्तक्षेप के कारण अपने उत्पादों की आपूर्ति करने इनकार किया गया, उन्होंने केन्द्र सरकार को हितार्थ फाउंडेशन का लाईसेंस वापिस लेने हेतु शिकायत दर्ज की। केन्द्र सरकार ने सभी हितधारकों को सुनने के पश्चात् कम्पनी को लाईसेंस वापिस लेने का कारण-बताओं नोटिस जारी किया। लाईसेंस को वापिस लेने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने हितार्थ फाउंडेशन के जनहित में परिसमापन का आदेश पारित किया। हितार्थ फाउंडेशन के कुछ निदेशकों द्वारा निम्नलिखित मामलों में सलाह देने की मांग की गई।

(i) क्या राम & सन्स् हितार्थ फाउंडेशन की कुल ईक्विटि में 25% निवेश कर सकते है।

(ii) राम & सन्स् द्वारा अपना लाभांश प्राप्त कर लिया गया क्योंकि उनका हितार्थ फाउंडेशन में 25% हिस्सा है। क्या हितार्थ फाउंडेशन किसी भी लाभांश की घोषणा से इन्कार कर सकता है।

(iii) हितार्थ फाइंडेशन का तर्क है कि केन्द्र सरकार कम्पनी के परिसमापन का आदेश नहीं दे सकती। ज्यादा से ज्यादा केन्द्र सरकार जो कर सकती है कि वह लाईसेंस वापिस ले सकती है और इसके बाद हितार्थ फाउंडेशन अपना व्यापार चला सकते है। क्या यह कहना न्यायसंगत है?

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानां का विश्लेषण किजिए और निदेशकों के सलाह दीजिए।

Marks

(c) ABC & Co. एक भागीदारी फर्म है जिसका विघटन होने जा रहा है। निम्न बिंदुओं पर भागीदार आप की सलाह चाहते है। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के इस संबंध में विशेष प्रावधानों को उन्हें समझाइए। **6**

(i) विघटन के बार भागीदारों का व्यापार समाप्त करने का अधिकार।

(ii) समापन के प्रयोजनों के लिये भागीदारों का सतत अधिकरा।

(iii) भागीदारी खातों के निपटान का तरीका।

2. (a) रोमी अपने कार्यालय केबिन हेतु अपनी आवश्यकता अनुरुप सोफा बनवाने तथा फिक्स कराने के उद्देश्य से किर्ती–नगर स्थित "ट्रेन्ज इन दिल्ली" नामक प्रतिष्ठित फर्निचर शोरूम पर गई। 30 मिनट के अन्दर, उसने अपने कार्यालय केबिन के कलर, उपलब्ध जगह के अनुरूप एक डिजाइन निर्धारित कर ली। मि. पार्थ (ट्रेन्ज इन दिल्ली का मालिक) ने भरोसा दिलाया की वह एक माह में सोफा सुपूर्द कर देगा। मि. पार्थ ने कहा की वह सोफा ₹ 45,000 की किमत का होगा और वह माल–ढूलाई और कारपरेट पैकिंग के ₹ 4,500 अतिरिक्त शुल्क लेगा। माल–ढूलाई और कारपरेट पैकिंग का ₹ 4,500 शुल्क रोमी को सोफा सुपूर्दगी के समय आवश्यक रूप से देना होगा और शेष राशि निर्धारित की गई अवधि के अनुसार संत्यवहार की स्वीकृती पर देय होगी। उसने रोमी को यह भी भरोसा दिलाया की वह बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिये नवीं मंजिल पर स्थित कार्यालय केबिन में वह सोफा का अधिष्टापन बिना कार्यालय केबिन को हानि पहुँचाए करेगा। रोमी ने नियम और शर्ते मान ली किन्तु इस शर्त के साथ कि वह सोफा स्वीकार नहीं करेगी और लौटा देगी यदि वह बताए गये साईज (माप) व कलर के अनुसार मेल न खाते हो तो। मि. पार्थ इस शर्त पर सहमत हुआ किन्तु उसने रोमी द्वारा विक्रय को अस्वीकार करने का अधिकतम समय तय कर दिया, i.e. सुपुर्दगी और अधिष्ठापन के 20 दिनों पुरा होने पर, इसके लिये रोमी ने भी सहमती प्रदान की। **7**

Marks

निश्चित समय अनुसार, मि. पार्थ ने सोफा रोमी के कार्यालय भेजा। D (पार्थ का कर्मचारी) ने सोफा 9 वीं मंजिल पर सीढ़ीयों द्वारा ले जाने से इन्कार किया क्योंकि वहाँ लिफ्ट की सुविधा नहीं थी। रोमी ने D को ₹ 1,500 सिढ़ीयों द्वारा 9 वीं मंजिल पर सोफा पहुँचाने के दिये। सोफा अधिष्ठापन होने पर उसने माल ढूलाई और कारपरेट पैकिंग के तय शर्तो अनुसार ₹ 4,500 दिये।

एक माह पश्चात्, जब मि. पार्थ ने ₹ 45,000 कीमत की मांग की, तब रोमी ने कहा की वह सोफा लौटाना चाहती है क्योंकि वह सोफा क्रय करते समय बताई गई कार्यालय साईज (माप) और वर्णन के अनुरूप नहीं है। वैकल्पिक और वह ₹ 45,000 के बजाए सिर्फ ₹ 25,000 सोफा की कीमत देने को तैयार हुई क्योंकि वह सोफा उसकी पंसद तथा निश्चित आवश्यकता के अनुरूप नहीं था।

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अनुसार विश्लेषण कीजिए तथा निम्न पर कारण सहित सलाह दीजिए :

(i) क्या रोमी इस आधार पर की वह सोफा आदेश देते समय बताए गये साईज (माप) और वर्णन के अनुसार नहीं है ₹ 45,000 भुगतान करने से इन्कार कर सकती है?

(ii) क्या आपके विचार में स्वीकृती के निश्चित समय पूर्व किसी भी तरीके से रोमी ने मि. पार्थ को अपनी स्वीकृती संज्ञापित की है?

(iii) क्या मि. पार्थ भुगतान न करने के लिए रोमी के विरुद्ध दावा करना चाहिए या उसे ₹ 25,000 सोफे की पूर्ण और अंतिम किमत स्वीकार लेनी चाहिए क्योंकि दावे का कोई संकारात्मक निर्णय आना बहुत दूर की बात है और वह सोफा आवश्यकता अनुसार निर्मित किया गया और पहले ही रोमी को सुपूर्द किया जा चुका है।

Marks

(b) (i) इक्विटी अंश विभेदक अधिकारों के साथ तथा पूर्वाधिकार अंश में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्तर स्पष्ट कीजिए। (कोई तीन बिंदू) 3

(ii) रचनात्मक सूचना के सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए। 4

(c) (i) सीमत देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के निर्देशन में केन्द्र सरकार की किसी LLP को अपने नाम में सुधार प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देश देनी की शक्तियों पर चर्चा कीजिए जहाँ इसका पंजीकृत नाम, एक दूसरी पंजीकृत LLP या कम्पनी या एक मालिक का ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के तहत एक पंजीकृत ट्रेड मार्क है, जैसी की इसके लिये गलत समझा जा सकता है। साथ ही केन्द्र सरकार की उन शक्तियों का जहाँ स्व-प्रेरणा से उपरोक्त मामले को निपटान के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी चर्चा किजिए जहाँ निरन्तर ऐसे आदेशों की अवेहलना की जाती है। 6

(ii) ''नामित भागीदारों में से कम से कम एक भारत में निवासी होना चाहिए।'' सीमित देयता भागीदारी, 2008 द्वारा बनाये गये नामित भागीदार से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या किजिये और साथ ही निवासी भागीदार को परिभाषित कीजिये।

3. (a) (i) मि. चांद CHJ & एसोसिएटस में एक सक्रिय भागीदार है (एक भागीदारी फर्म) अपने खराब स्वाथ्य के कारण वह अब कार्य नहीं कर रहा। उसने अवलोकन किया की फर्म के खाते सही रूप से नहीं रखे जा रहे और उसे दो भागीदारों द्वारा गबन की आशंका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने फर्म में हित को अपने भतीजे मि. निमन को अन्तरित किया, जो कि एक योग्यताप्राप्त वित्त व्यवसायी और उस क्षेत्र में निपुण है। 4

 Marks

उसने नामांकन के कुछ दिनों पश्चात्, मि. निमन ने लेखा संबंधी पारदर्शिता पर आरोप लगाया और लेखा पुस्तकों के निरिक्षण की मांग की, जिसे अन्य भागीदारों द्वारा इन्कार कर दिया गया। एक वर्ष पश्चात्, CHJ & एसोसिएटस ने भागीदारी को विघटित करने का निर्णय लिया क्योंकि फर्म का कारोबार लाभप्रद नहीं रहा। मि. निमन ने पिछले 3 वर्षों के लाभों में हिस्सा निर्धारण के लिए लेखाओं की मांग की जिसे अभी तक इन्कार किया जा रहा था।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधनों का विश्लेषण कीजिए और निर्णय दीजिए की क्या फर्म के चालू रहने के दौरान मि. निमन द्वारा लेखा निरिक्षण की मांग को फर्म द्वारा अस्वीकार करना सही है?

यह भी निर्धारित कीजिए की क्या फर्म के विघटन के पश्चात् मि. निमन पिछले 3 वर्षों के लेखाओं की मांग करने के लिए कानूनी रूप से योग्य है।

(ii) मि. प्रमोद PKL & एसोसिएटस में एक वरिष्ठ भागीदार है, (सभी दोनों भागीदारों के मध्य) (यह डेयरी वस्तुओं के निर्माण करने वाली फर्म है) मि. संजय जो फर्म को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता है, सम्पर्क करता है ताकि एक लम्बे समय से लम्बित मामाला (दावा) न्यायालय के बाहार मध्यस्था के द्वारा निपटारा किया जा सके। यह लम्बित विवाद मि.संजय द्वारा निम्न-गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ती करने से संबंधित है, इस कारण PKL & एसोसिएटस की ख्याति में कमी आयी और बाजार में फर्म के उत्पादों की मांग में भी गिरावट हुई। 3

मि. संजय द्वारा न्यायालय के बाहर समझौते के माध्यम से निपटारा करने हेतु अपनी एक सम्पति (संपति) बाजार मूल्य से कम कीमत पर फर्म को अन्तरित करने का प्रस्ताव किया गया। मि. प्रमोद इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि इस कारण सिर्फ एक पुराना लम्बित दावे का निपटारा ही नहीं हो रहा, बल्कि परिणामस्वरूप फर्म को बहुत कम बाजार कीमत पर एक संपत्ति अधिग्रहित हो रही है। मि. प्रमोद द्वारा इस प्रस्ताव की संसूचना दूसरे भागीदार मि. कुमार को दी गई, जिसके विचार अभी तक प्राप्त नहीं हो सके क्योंकी वह निजी कार्यों की वजह से राज्य के बाहर है।

भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों का विश्लेषन कीजिए और निर्णय किजिए की क्या मि. प्रमोद द्वारा, मि. संजय द्वारा बताए गये समझौते के माध्यम से दावे का निपटारा किया जा सकता है जबकि दूसरे भागीदार ने अभी तक अपना कोई विचार नहीं रखा है।

(b) स्टेट पावर कार्प. प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, जिसमें 51% अंश भविष्य की सूचना प्रोद्यौगिकि परियोजानों के प्रसार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धारित है। कम्पनी के बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि प्रयाप्त मात्रा में है। कम्पनी ने अपने प्रारम्भिक वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया। हालाकि सूचना प्रोद्यौगिकि मे आरटिफिशियल इंटेलिजेंसी के प्रयोग के कारण कम्पनी की कार्यक्षमता टूट गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान उसकी कार्यक्षमता अत्यधिक प्रभावित हुई। स्टेट पावर कार्प. प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले दो वित्तिय वर्षों से 7

Marks

कोई व्यापार संचालित नहीं किया और न ही रजिस्ट्रार के यहाँ आवश्यक रिर्टन जमा कराई। बोर्ड अब कृत-शून्य (Dormant) कम्पनी के रूप में आवेदन करना चाहता है। कुछ निदेशकों का विचार हैं कि केन्द्र सरकार का 51% का हक होने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उसे लोक वित्तिय संस्था माना जाना चाहिए। इस के विपरित कुछ निदेशकों ने इस बात पर विरोध किया कि स्टेट पावर कार्प. प्राईवेट लिमिटेड एक निजी कम्पनी होने के कारण इसे सरकारी कम्पनी नहीं माना जा सकता। निदेशकों द्वारा निम्नलिखित मामलों में आप की सलाह चाही गई :

(i) केन्द्र सरकार का स्टेट पावर कार्प. प्राईवेट लिमिटेड में 51% अंश होने के कारण क्या इसे सरकारी कम्पनी माना जा सकता है जबकि इसका पंजीकरण निजी कम्पनी के रूप में हुआ है।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्या स्टेट पावर कार्प. प्राईवेट लिमिटेड को लोक-वित्तय संस्थान माना जा सकता है?

(iii) क्या कम्पनी कृत-शुन्य (Dormant) कम्पनी का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवेदन करने के योग्य है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागु होने वाले प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए तथा निदेशकों को न्यायसंगता के आधार पर सलाह दीजिए।

(c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को निर्देशित करते हुए निम्न का उत्तर दीजिए : **6**

(i) उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहाँ प्रतिशोधी या अनुकरणीय क्षति प्रदान की जाती है। (न्यायसंगतता के साथ)

(ii) दंड और परिसमाप्त क्षति में एक बात समान है कि दोनों संविदा के उल्लंघन की घटना पर भुगतान करते है। दोनों के बीच अंतर की स्पष्ट रेखा खींचना बहुत मुश्किल है। कोई भी तीन सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए जो दंड और परिसमाप्त क्षति के अन्तर को स्पष्ट करने में उपयोगी हो सकते हैं।

4. (a) मि. भूषण स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों से बनी ज्वेलरी का खुदरा व्यापारी है, अपने व्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से उसने RCK बैंक लिमिटेड से संम्पर्क कर ₹ 70 लाख का लोन लिया। मि. भूषण ने ₹ 5 लाख मूल्य की स्वर्ण टिकिया बंधक की तथा सुरेश, सुयश, सुमती और सुमन को मि. भूषण, द्वारा भुगतान में चुक होने पर ₹ 30 लाख, ₹ 20 लाख, ₹ 10 लाख और ₹ 10 लाख की क्रमशः निजी प्रत्याभूति (गारन्टी) प्रदान की। मि. भूषण ने लोन का निवेश व्यापार में किया और ज्वेलरी स्टाक को बढ़ाया तथा पास के ही क्षेत्र में एक अतिरिक्त ज्वेलरी शोरूम स्थापित किया। **7**

स्वर्ण टिकिया जो बैंक को भौतिक तोर पर अन्तरित की गई थी वह बैंक कर्मचारी की सहायता से चोरी हो गया जिसका आज तक कोई पता नहीं लग सका। पूर्व में मि. भूषण द्वारा एक स्वर्ण गणेश जी की मूर्ति दिवाली के समय बैंक के मुख्य स्थान पर रखने हेतु (बैंक के आग्रह पर) विक्रय की गई जिसका मूल्य 5 लाख रुपये बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

उस दौरान, व्यापार में कमी के कारण मि. भूषण लोन का भुगतान नहीं कर सका, बैंक द्वारा गारन्टरों से सम्पर्क कर अदत राशि की मांग की गई। बैंक द्वारा बकाया राशि के लिए सभी गारन्टरों को समान रूप से भुगतान करने हेतु कहा गया।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों का विश्लेषण करते गुए निर्णित कीजिए :

(i) क्या बैंक द्वारा उन व्यक्तियों से जिन्होंने गारन्टी दी है समान रूप से भुगतान की मांग करना वैध है और नहीं तो, वह राशि क्या होगी जो प्रत्येक गारन्टर को भुगतान करनी होगी?

(ii) आप का उत्तर अशंदान के संबंध में प्रत्येक गारन्टर के लिए क्या होगा यदि बैंक मि. भूषण के लोन के नियम और शर्तों में परिवर्तन बिना किसी गारन्टर की सहमती और जानकारी के करती है?

(b) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के लागू होने वाले प्रावधानों के निर्देशन में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7

(i) परक्राम्य लिखित का परक्रामण सुपुर्दगी द्वारा या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा होता है।

उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जब परक्राम्य लिखित का परक्रामण निम्न तरीको से हो :

(A) सिर्फ सुपुर्दगी द्वारा

(B) सुपुर्दगी और पृष्ठांकन द्वारा

Marks

(ii) दोनों ही मामलों में सुपुर्दगी आवश्यक है i.e. सिर्फ सुपुर्दगी द्वारा और/या सुपुर्दगी और पृष्ठांकन द्वारा

(A) समझाइए क्यों परक्रामण के लिए सुपुर्दगी आवश्यक हैं?

(B) क्या ऐसी कुछ परिस्थितियाँ है जब लिखित का परक्रामण सुपुर्दगी के बाद भी नहीं होता?

(c) निम्नलिखित पदों (Terms) पर चर्चा कीजिए जो आपने भारतीय नियामक ढ़ाचा का अध्ययन करते समय प्राप्त की : 6

(i) सामान्य विधि

(ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

5. (a) ऋषी का अंबाला में फार्महाउस है। उसके फार्महाउस की मिट्टी बहुत भारी और मजबूत है। कुछ मौसमी सब्जियों की खेती करने हेतु वह एक मल्टी–ब्राण्ड डिलर से ट्रेक्टर और छह स्वचालित बीज डालने वाली मशीन क्रय करने हेतु संम्पर्क करता है। उसने वर्ग अनुसार विशिष्ट प्रकार की फार्महाउस की मिट्टी की दशा की जानकारी दी और साथ ही यह सूचना दी की वह डिलर के ज्ञान और भोग्यता पर इस उद्देश्य हेतु भरोसा करता है। डिलर ने ट्रेक्टर और स्वचालित बीज डालने वाली मशीन जो कि एक विशेष ब्राण्ड की है सलाह दी (जो एक–दूसरे से स्वतंत्र है) (ऋषि ने डिलर की योग्यता पर भरोसा करते हुए उपरोक्त समान एक ही बिल द्वारा जो कि प्रत्येक समान की अलग–अलग कीमत दर्शाता है तथा जिसमें ट्रेक्टर की कीमत और छह बीज डालने वाली मशीन की कुल संख्या अंकित है। जमीन खुदाई के दौरान तथा बीज डालते समय मात्र 16 7

Marks

दिनों के अन्दर ही ट्रेक्टर टूट गया और वह उद्देश्य के अयोग्य पाया गया। और यह कि छह में से एक बीज डालने वाली मशीन भी उसी दिन टूट गयी जो कि विशेष क्षेत्र के लिये अनउपयोगी पायी गई। उसी समय शेष पांच बीज डालने वाली मशीनें उस क्षेत्र में ऋषि द्वारा उपयोग में लायी गयी। ऋषी संपूर्ण संविदा को रद्द करके ट्रेक्टर और बीज डालने वाली मशीन लौटाना चाहता है।

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए और उपरोक्त मामले के तथ्यों के आधार पर ऋषी को सलाह दीजिए :

(i) क्या ऋषी प्रमुख ब्राण्ड के ट्रेक्टर को लौटा सकता है?

(ii) क्या ऋषी सभी छह बीज डालने वाली मशीने लौटा सकता है?

(b) एक नाबालिग को संविदा से बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक नाबालिग की संविदा शून्य होती है, न कि केवल शून्यकरण योग्य। इसलिए, एक नाबालिग फर्म में भागीदार नहीं बन सकता क्योंकि भागीदारी एक संविदा पर स्थापित होती है। यद्यपि एक नाबालिग किसी फर्म में भागीदार नहीं हो सकता है, फिर भी उसे भागीदारों के लाभों में प्रवेश दिया जा सकता है। 7

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के निर्देशन में नाबालिग (अवयस्क) के अधिकार और देयताएं (दायित्व) पर चर्चा कीजिए।

(c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत ''संविदा की गोपनीयता'' के सिद्धांत के अपवादों का संक्षेप में विचार कीजिए। 6

Marks

6. (a) परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अनुसार अपने निर्णय की न्यायसंगतता बताते हुए निम्न लिखित (instruments) की बैधानिकता का परीक्षण कीजिए। (तीनों परिस्थितियों को एक-दूसरे से स्वतंत्र मानते हुए उत्तर दीजिए) 7

(i) आलोक द्वारा 25,000 रुपयों का एक वचन-पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें उसके खोये हुए कुत्ते को ढूँढ़ कर लाने वाले को लिखित राशि देना स्वीकार किया गया। उसके पश्चात् आनन्द को वह कुत्ता प्राप्त हुआ ओर वह लेकर आया और उसने इनाम का दावा किया।

(ii) आलोक द्वारा इनाम के तौर पर एक हस्ताक्षर युक्त धारक को देय चैक आनन्द को सुपूर्द किया गया जबकि वह पहले ही खोये हुए कुत्ते को ढूँढ़ कर ला चूका है।

(iii) आलोक ने स्वलिखित और स्वयं-स्वीकृत विनमय बिल आनन्द को सुपूर्द किया (ईनाम के तौर पर) जब खोया हुआ कुत्ता ढूँढ़ लिया गया।

(b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को निर्देशित करते हुए निम्न का उत्तर दीजिए : 6

(i) खोए हए माल को प्राप्त करने वाले के अधिकार

(ii) अधिमान के अधिकार (अमानतदार, गिरवीग्राही, Pawnee)

या

(b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को निर्देशित करते हुए दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए : 6

(i) "जिस पक्ष के साथ कपट या धोखाधडी की गई है, उसके निस्तारण पर उसे कई उपचार प्राप्त होते है "। जिस पक्ष के साथ कपट या धोखाधडी हुई हैं उसको उपलब्ध उपचारों पर चर्चा कीजिए।

(ii) उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब जमानत (उपनिधान) की संविदा की समाप्ति हो जाती है।

Marks

(c) मालविक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों को निर्देशित करते हुए निम्न का उत्तर दीजिए :

(i) उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब विक्रता संपति का हस्तांतरण क्रेता को इस बात के होते हुए भी रोक सकता है कि क्रेता को माल की सुपूर्दगी की जा चुकी है। **4**

साथ में उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब यह माना जाए की विक्रेता ने संपत्ति में माल के निपटान का अधिकार सुरक्षित रखा है।

(ii) तृतीय पक्षकार द्वारा कीमत निर्धारण के संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। **3**